कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- ………./2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.06.2026

थाना – साइबर क्राइम, जनपद आज़मगढ़, दिनांक : 18 जून 2026

ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के 2 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 अदद मोबाइल व 20500 रू नगद बरामद

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम श्री पंकज कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन मे थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई|

घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री मनोज यादव पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र यादव नि0ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ मो0नं0 9450992512 के साथ आनलाइन गेमिंग 51GAME के नाम पर 9,25,000/रु0 का फ्राड हुआ था जिसके सम्बन्ध मे वादी मुकदमा मनोज यादव उपरोक्त द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र देकर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 318(4), 319(2), 317(2) BNS व 66C, 66D IT ACT पंजीकृत कराया। दौराने विवेचना प्रकाश मे आये अभियुक्त अविनाश विजय पुत्र बिजय कुमार सिंह निवासी 439 खुनी गली शीतल टोला शिवगंज आरा भोजपुर बिहार पिन 802301 द्वितीय पता जमीराबांध, आरा भोजपुर बिहार को साइबर थाना टीम द्वारा गैर प्रान्त बिहार से गिरफ्तार किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से अभियुक्त शशांक खन्ना पुत्र शत्रुधन खन्ना निवासी N 15/541-A-2-B जियुधीपुर किरहिया थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी व कमलेश शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा निवासी मकान सं0- SA 6/185-9-B-K प्लाट नं0- 7 आनन्द विहार कालोनी अकथा पहड़िया थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को धारा 35(3) BNSS नोटिस के आधार पर थाना हाजा पर उपस्थित आए थे। पुछताछ, खातो का विश्लेषण व तकनीकी साक्ष्यों , सीडीआर विश्लेषण आदि से शशांक खन्ना व कमलेश शर्मा उपरोक्त की उक्त साइबर फ्राड की घटना मे संलिप्तता पायी गयी। अभियुक्तगण को उनके कृत्य का बोध कराते हुए अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2),317(2) BNS व 66c,66d it act मे थाना स्थानीय पर समय करीब 17.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

अपराध का तरीका (Modus Operandi)-

अभियुक्तगण आनलाइन गेमिंग फ्राड के सक्रिय सदस्य है। अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपराध के पैसो को करेन्ट अकाउन्ट मे कमीशन के आधार पर मंगाया गया है। शशांक खन्ना के द्वारा अपने सहयोगी कमलेश शर्मा के साथ मिलकर अपने केनरा बैंक के खाते मे लगभग 4 करोड़ 64 लाख की धनराशी का लेन देन दो दिवस मे किया गया। उक्त खाते पर विभिन्न राज्यों से 52 साइबर शिकायते दर्ज है जिस पर कार्यवाही करते हुए 3 लाख 56 हजार रूपये फ्रीज कराया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम -

1.शशांक खन्ना पुत्र शत्रुधन खन्ना निवासी N 15/541-A-2-B जियुधीपुर किरहिया थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी
2. कमलेश शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा निवासी मकान सं0- SA 6/185-9-B-K प्लाट नं0- 7 आनन्द विहार कालोनी अकथा पहड़िया थाना सारनाथ जनपद वाराणसी

बरामदगी-

कार्यवाही में निम्न माल बरामद हुआ—
03 अदद मोबाइल फोन,
13 अदद एटीएम कार्ड,
दो अदद पैन कार्ड, दो अदद आधार कार्ड,
20500 रू नगद

कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस टीम-

प्र0नि0 श्री राजकुमार सिंह
म0नि0 श्रीमती विभा पाण्डेय
उ0नि0 रजत सिंह
हे0का0 सुखनन्दन सिंह यादव
हे0का0 कल्लू प्रसाद
का0 संजय कुमार
का0 सभाजीत मौर्य
का0 एजाज खान
का0 विकास कुमार
थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़
का0 आलोक सिंह (सर्विलांस सेल)